



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

28 सितंबर 2023

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अगस्त 2023

अगस्त 2023¹ महीने के लिए 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 93 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण² में अगस्त 2023³ में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.0 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण³ के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि अगस्त 2023 में बढ़कर 16.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 13.4 प्रतिशत थी।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में अगस्त 2023 में 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि यह अगस्त 2022 में 11.4 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, 'मूल धातु और धातु उत्पाद', एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण संवृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) अगस्त 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'रसायन और रासायनिक उत्पादों', 'खाद्य प्रसंस्करण' और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' की ऋण संवृद्धि में गिरावट आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण संवृद्धि अगस्त 2023 में बढ़कर 20.7 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 17.4 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी)' और 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा' की वजह से थी।
- 'आवास' हेतु प्रदत्त ऋणों में कमी की वजह से, वैयक्तिक ऋण अगस्त 2023 (एक वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत) में घटकर 18.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रह गई।

श्वेता शर्मा

उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1013

¹ आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

² खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा - 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

³ किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।